दालों और मसालों का लगातार कम उत्पादन होने के कारण इनके मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) वर्ष 1990 के पश्चात् इन वस्तुओं के उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेतम) : (क) जी, नहीं । दलहन और मसालों के मूल्यों और उत्पादन से केवल सामान्य उतार-चढ़ाव परिलक्षित हुआ है ।

(ख) दूसरी फसलों में एकड़ क्षेत्र ठेतरित हो जाने के कारण मसालों के उत्पादन में मामूली कमी आई है । दलहनों के उत्पादन में वर्षानुवर्ष उतार-चढ़ाव आया है ।

(ग) दलहन तथा मुख्य मसालों (लाल मिर्च, धनिया, लहसुन, काली मिर्च, अदरक और हल्दी) का वर्षवार उत्पादन निम्नवत् है :--

वर्ष	उत्पादन मिलियन मीटरी टन में	
	दाल	मसाले
1989-90	12.86	1.96
1990-91	14.27	1.83
1991-92	12.06	1.68
1992-93	14.70 (अनन्तिम)	उपलब्ध नहीं

Appointment of Executives in National Cooperative Societies

©2251. SHRI SOM PAL:
SHRI SHANKAR DAYAL SINGH:
SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Central Government has constituted a body of persons for preparing a list of persons eligible for appointment to the posts of Chief Executive and other managerial posts in national cooperative societies as required under Section 50(a) of Multi-state Cooperative Societies Act, 1984;

(b) whether rules for regulating the recruitment, remuneration, allowances and other service conditions of employees of national cooperative societies have been made as required by Section (b) of the said Act;

(c) if the answers to (a) and (b) above be in the affirmative whether the senior posts of Managing Director, Additional Managing Director, Chief Controller of Finance & Accounts, General Managers and Mangers of the NCCF have been filled according to the procedure;

(d) if not, what are the reasons therefor and what action is being taken against the NCCF for flouting these provisions; and

(e) if the prescribed body and rules under Section 50(a) and (b) have not been formed, what are the reasons therefor and who is responsible for the lapse alongwith the action being taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) Yes. Sir. Central Government have been constituting such body named as "National Cooperative Societies Selection Committee" in pursuance of s. 50(a) of Multi State Cooperative Societies Act, 1984 and rules framed thereunder, as and when required.

(b) No, Sir.

(c) As per the provisions of section 50(a) of Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 and rules framed thereunder, onlypost ofManaging Director of NCCF is within the purview of the Committee referred to above. The action for the selection of M. D. NCCF was taken as per rules.

(d) Does not arise.

(e) Central Government have been constituting such Selection Committee in pursuance of section 50(a) and rules framed thereunder as and when required. However, looking to diversified activities and nature of functions'of different National Cooperative Societies, framing of uniform service rules under section 50(b) was not found feasible. A decision has been taken to delete this provision.

@ Previously Unstarred Question 1745, transferred from 9th August, 1993.

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में "रामतिल" का उत्पादन

2252. श्री लक्ष्मीराम अग्रवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में "रामतिल" आदिवासी कृषकों की प्रमुख तिलहनी फसल है;

(ख) यदि हां, तो इसकी कुल कितने क्षेत्रफल में खेती की

जाती है और इसका कितना उत्पादन होता है और उसमें से आदिवासी क्षेत्र कितना है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इसका समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विदेशों में भी "रामतिल" की मांग है; यदि हां, तो इसके निर्यात के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है; और

(ङ) क्या "रामतिल" के निर्यात की सम्भावनाओं को देखते हुए इस फसल पर कोई अनुसंधान-कार्य किए जा रहे हैं ?

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) 1992-93 में मध्य प्रदेश राज्य में इसका अनुमानित क्षेत्र 2.08 लाख हैक्टेयर था तथा 34 हजार मीटरी टन का अनुमानित उत्पादन हुआ था । लेकिन, आदिवासी क्षेत्रों के लिए क्षेत्र और उत्पादन का अलग से कोई रिकॉर्ड नहीं है ।

(ग) जी, नहीं, क्योंकि रामतिल को कृषि लागत और मूल्य आयोग के विचारार्थ विषयों में शामिल नहीं किया गया है ।

(घ) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जब कभी विदेशों से रामतिल की मांग प्राप्त होती है तो इसका निर्यात किया जाता है । भारत सरकार की वर्तमान निर्यात नीति के अनुसार रामतिल का निर्यात राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) और भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ के माध्यम से किया जाता है ।

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, जिसका मुख्यालय जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश) में है के माध्यम से रामतिल पर अनुसंधान कर रहा है ।

Availability of Milk in the Country

2253. SHRI MURLIDAHR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the quantity of diverted milk to produce milk processd items;

(b) what is the per capita availability of milk in the country;

(c) how It compares with certain advanced countries; and

(d) the details of steps taken by Government to make available milk at cheaper rate to cliildem and women who are living below poverty line ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) It is estimated that nearly 50% of milk production in India is diver-led to produce processed items, such as ghee, milk powder, butter, khoa, paneer/chana/ cheese, curd/dahi, and sweets.

(b) The per capita availability of milk in the country is 64.2 Kg. per head per annum (1991).

(c) The per capita availability of milk in certain advanced countries is as under (1991):

UK	— 260 Kg. Per annum
USA	— 268 Kg. per annum
Japan	— 66 Kg. per annum
Germany (FR)	— 369 Kg. per annum

(d) Government has recently promulgated Milk and Milk Product Order, 1992 on 9th June,
1992 under the Essential Commodities Act, (10
of 1955) with a view to maintain and increase supply of liquid milk of the desired quality in the interest of the general public. This Order extends to the whole of India.

राष्ट्रीय कृषि-विस्तार परियोजना में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों को शामिल किया जाना

2254. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही राष्ट्रीय कृषि-विस्तार परियोजना I और 3 में उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों को शामिल किया था;

(ख) यदि हां, तो वे जिले कौन-कौन से हैं और

(ग) गत वर्ष जिला-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और उन्हें कहां तक प्राप्त किया जा सका है ?

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) : (क) जी, हाँ । उत्तर प्रदेश के 25 पूर्वी जिलों के विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-3 में शामिल किया गया है ।

(ख) पूर्वी जिलों के नाम विवरण-I में दिए गए हैं । (नीचे देखिए)

(ग) परियोजना के तहत जिलावार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं; लेकिन 1992-93 तक के वास्तविक वित्तीय लक्ष्यों और पूरी परियोजना की समग्र उपलब्धियों को विवरण-II में दर्शाया गया है ।

विवरण-I

राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-3 में शामिल पूर्वी जिलों के नाम

1. वाराणसी 14. बहराइच